

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

संख्या- उ0सं0नि0-26/2003- विभागीय अधिसूचना संख्या-647 दिनांक-
17.02.2004, जिसके द्वारा प्रत्येक जिले में जिला उपभोक्ता परिषद् के गठन का निर्णय
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 8(ए) एवं 8 (बी) में उल्लिखित प्रावधानों के
आलोक में लिया गया है, के क्रम में गोपालगंज जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का गठन
किया जाता है जिसमें निम्नांकित सदस्य होंगे :-

- | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|
| 1. जिला समाहर्ता | - | अध्यक्ष |
| 2. जिला आपूर्ति पदाधिकारी | - | सदस्य सचिव |
| (क) जिला में संसद/विधान मंडलीय प्रतिनिधि | | |
| 3. जिला के निर्वाचित लोक सभा/राज्य सभा के सदस्य | - | सदस्य |
| 4. जिला से निर्वाचित विधान सभा/विधान परिषद् के सदस्य | - | सदस्य |
| (ख) विभागीय पदाधिकारी/स्वशासित संस्थाओं के प्रतिनिधि | | |
| 5. उप विकास आयुक्त | - | सदस्य |
| 6. जिला शल्य चिकित्सक | - | सदस्य |
| 7. जिला कल्याण पदाधिकारी | - | सदस्य |
| 8. जिला शिक्षा पदाधिकारी | - | सदस्य |
| 9. जिला प्रबन्धक, राज्य खाद्य निगम | - | सदस्य |
| 10. अध्यक्ष, जिला परिषद् | - | सदस्य |
| 11. केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी दूरदर्शन | - | सदस्य |
| (ग) महिला प्रतिनिधि | | |
| 12. श्रीमती बिनीता बैठा,
पति- फुलमनी बैठा,
ग्राम- बड़हरा,
पो0+प्रखंड- भोरे,
जिला-गोपालगंज। | - | सदस्य |
| 13. श्रीमती माधुरी देवी,
पति-झुलन कुर्मी,
ग्राम-बनकटा, पो0-ढ़ेढ़वा,
थाना-गोपालपुर, जिला- गोपालगंज। | - | सदस्य |
| (घ) स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि | | |
| 14. श्री योगेन्द्र राम,
पिता- दीनानाथ राम,
ग्राम-भगवानपुर, बथुआ बाजार,
प्रखण्ड- फुलवरिया,
जिला-गोपालगंज। | - | सदस्य |
| 15. मे0 वसीम,
पे0- स्व0 मो0 समीम,
ग्राम-मनीछापर,
पो0+प्रखंड-हथुआ, | - | सदस्य |

- जिला-गोपालगंज।
16. श्री ब्रजकिशोर मिश्र, — सदस्य
पिता- स्व० सत्यदेव मिश्र,
ग्राम+पो०- सिसई,
थाना-बरौली, जिला-गोपालगंज।
17. श्री विधा शर्मा, — सदस्य
पिता-श्री कंचन शर्मा,
ग्राम+पो०- कोईनी, थाना- मांझा,
जिला-गोपालगंज।
- (ड.) किसान/व्यापारी/उद्योग के प्रतिनिधि
18. श्री राम भरोसा राजभर — सदस्य
पिता- श्री कृष्णा राजभर,
ग्राम- अमवॉ दूबे, प्रखंड-विजयीपुर,
जिला-गोपालगंज।
19. श्री उपेन्द्र सिंह, — सदस्य
पिता- श्री पुण्यदेव सिंह,
ग्राम+पो०- मटिहानी माधो,
प्रखंड- हथुआ, जिला-गोपालगंज।
20. श्री रामवतार प्रसाद, — सदस्य
ग्राम- चतुरबगाहा,
जिला-गोपालगंज,
मोबाईल नं०- 9973585549
21. श्री रविन्द्र कुमार, — सदस्य
द्वारा, नमस्कार,
चन्द्रगोखुल रोड,
जिला-गोपालगंज।
- (च) उपभोक्ता हितों के प्रतिनिधित्व करने योग्य अन्य व्यक्ति
22. श्री अशोक कुमार वर्मा, — सदस्य
पिता-श्री कृष्णा प्रसाद,
वार्ड नं०- 16, मड़वाड़ी मुहल्ला,
जिला-गोपालगंज।
23. श्री रामाशीष सिंह, — सदस्य
पिता-बंका राय,
ग्राम+पोस्ट- परसौनी खास,
प्रखण्ड-उचकागाँव,
जिला-गोपालगंज।
24. श्री विरेन्द्र मदेशिया, — सदस्य
पिता- सुदामा साह,
ग्राम-कपूरी, पो०+प्रखंड- पंचदेवरी,
जिला- गोपालगंज।
25. श्री प्रफुल ओझा, — सदस्य
पिता- स्व० रघुनाथ ओझा,
ग्राम+पो०- कोईनी, थाना- मांझागाँव,
जिला-गोपालगंज।

00

(2) शर्त :-

1. जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अंगले 3 वर्षों का होगा।
2. जो माननीय सांसद/विधायक जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के सदस्य हैं, के सांसद/विधायक नहीं रहने पर जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के सदस्य नहीं रहेंगे।
3. जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के पदेन सदस्य इस समय तक परिषद् के सदस्य बने रहेंगे जबतक कि वे उक्त पद पर पदस्थापित हैं।
4. जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के पुर्नगठन का अधिकार राज्य सरकार को प्राप्त होगा।
5. राज्य स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के वैसे सदस्य जो इस जिले के होंगे, उस जिले के जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे।
6. जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (संशोधित-2002) एवं बिहार उपभोक्ता संरक्षण नियमावली में निहित प्रावधानों के अनुरूप कार्य करेगी।
7. सांसद/विधायक/पदाधिकारियों को उसी दर पर यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता अनुमान्य होगा जो उन्हें उक्त पदों पर अनुमान्य है तथा वे इसे अपने वतनादि प्राप्त होने वाले शीर्ष से प्राप्त करेंगे।
8. स्थानीय सदस्यों को कोई भत्ता देय नहीं होगा। अन्य गैर सरकारी सदस्य वैसे यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता के हकदार होंगे जो राज्य सरकार के श्रेणी-1 के पदाधिकारी का अनुमान्य है तथा उनका भुगतान शीर्ष- 3456 नागरिक पूर्ति योजना से होगा।

- (3) आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इसे राजपत्र के असाधरा अंक में प्रकाशित करायी जाए तथा इसकी प्रतियां महालेखाकार, सभी विभागों, सभी प्रमण्डीयल आयुक्तों तथा सभी जिलाधिकारियों को भेजी जाए।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(प्रकाश कुमार) 15


संयुक्त सचिव-सह-निदेशक।

ज्ञापांक :- उ0सं0नि0-26/2003 7065 दिनांक :- 03/09/15
प्रतिलिपि :- सम्बन्धित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबन्धित जिलाधिकारी/संबन्धित उप विकास आयुक्त/संबन्धित जिला कल्याण पदाधिकारी/संबन्धित जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम/अध्यक्ष, जिला परिषद्/ माननीय विभागीय मंत्री कोषांग/ निदेशक, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय/विभागीय आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

2. समाहर्ता, गोपालगंज से अनुरोध है कि अपने जिला के सामित सदस्यों को इसकी सूचना देने का कष्ट करें।


संयुक्त सचिव-सह-निदेशक।

ज्ञापांक :- उ0सं0नि0-26/2003 7065 दिनांक :- 03/09/15
प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार विधान सभा/विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


संयुक्त सचिव-सह-निदेशक।

ज्ञापांक :- उ०सं०नि०-26/2003

7065 दिनांक :- 03/09/15

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। (दो हार्ड कॉपी एवं एक सी०डी० संलग्न)

अनुरोध है कि अधिसूचना की 100(एक सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।


संयुक्त सचिव-सह-निदेशक ।